फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

बलजीत कौर आदि बनाम उप वन संरक्षक व अन्य

किस्म मुकदमाः–212 R.T.Act प्रकरण संख्याः–19/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2024	पत्रावली निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को दोहराते हुए बताया कि चक 1 बी0एन0एम0 की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 61/12 की कुल 3.036 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड हे। प्रार्थीयान ने जैरप्रकरण रकबा रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा सोहनलाल पुत्र बागचन्द जाति अरोड़ा साकिन बीरमाना से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लि था। रजिस्टर्ड बैयनामा का ईन्तकाल संख्या 251 दिनांक 08.03.2016 से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीयान के नाम दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण का उक्त रकबा पर बैयनामा की तारीख से आज तक काबिज होकर काश्त करती आ रही है। प्रार्थीयान के रकबा से उत्तरी पासा का रकबा वाके चक 1 बी.एन.एम. के पत्थर संख्या 17/34 के किला संख्या 1 ता 25 का अनकमाण्ड रकबा वन विभाग के नाम से है। इसमें किला संख्या 21 ता 25 में से 2–2 बिस्वा रकबा रास्ता के नाम से दर्ज है। चक 1 बी.एन.एम. के पत्थर संख्या 17/26 व पत्थर संख्या 17/34 में कन्टूर लाईन से पक्की सड़क नक्शाा में दर्ज है। परन्तु यह सड़क मौका पत्थर संख्या 17/34 के किला संख्या 20–21 में से चलती है। जबकि नक्शा में यह सड़क पत्थर संख्या 17/34 के किला संख्या 11–18–19–23–24 में से दर्शाया हुई है। यह सड़क बनाते समय पत्थर संख्या 17/34 के नक्शा में दर्ज रकबा से करीब 2 बीघा दक्षिण की ओर वन विभा के रकबा में से निकल गई थी मौका पर यह सड़क वन विभाग के रकबा में से ही चलती है। प्रार्थीयान ने अपने नाम के खातेदारी रकबा में फलस की सार संभाल हेतु रिहायशी पक्की ढ़ाणी पत्थर संख्या 17/35 के किला नं. 1 में उत्तरी पासा से अपनी 10 फुट भूमि छोड़कर बनाई हुई है जिसमें मौका पर 1 पक्की रसोई 4 पक्के कमरे व बाथरूम चार दिवारी सहित बनी हुई है। जिसमें प्रार्थीयान जब खेत में जाती है तो स्वयं रहती है। प्रार्थीयान ने अपने खातेदारी रकबा में सिंचाई पानी की पूर्ति के लिये पत्थर संख्या 17/35 के किला संख्या 21 में ट्यबवैल लगा रखा है तथा नहरी पानी के साथ–साथ ट्यबवैल के पानी से भी अपने रकबा को काश्त रकती है। दिनांक 05.01.2021 को जब प्रार्थीया संख्या 1 अपने नाम के खातेदारी रकबा में खड़ी हाडी की फसल की सार–सम्भाल कर रही थी तो अप्रार्थी संख्या 1 के कर्मचारी अप्रार्थी संख्या 2–3 मौका पर आये व धमकी दी की पत्थर संख्या 17/35 के किला संख्या 1–9–10 पर से अपना कब्जा हटा लेवें अन्यथा वह जबरन काबिज हो जावेगे। प्रार्थीयान अपने रकबा पर ही काबिज है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीयान को जबरन बेदखल करने पर आमदा है। जैरवाद रकबा प्रार्थीगण का खातेदारी है। जिसमें अप्रार्थीगण को दखलदांजी करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस उपस्थित नही आये है। जैरवाद रकबा चक 1 बी. एन.एम. के खाता संख्या 61/12 के पत्थर संख्या 17/35 (36) के किला संख्या 1–9–10 की 0.759 हैक्टर अ0क0, 11–19 ता 22 की 1.265 हैक्टर कमाण व पत्थर संख्या 17/27 (37) के किला संख्या 15–16–24–25 की 1.012 हैक्टर कमाण्ड कुल 3.036 हैक्टर अ0क0/क0 खातेदारी रकबा प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। खातेदार काश्तकार के रकबा में दखलदांजी करने का किसी को अधिकार नही हैं इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वाद पत्र के निर्णय तक वे प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा में किसी प्रकार की दखलदांजी न करें। जैरवाद रकबा के सीमाज्ञान करने पर यह स्थगन लागू नही होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ